ज्ञापांक :-...........   दिनांक :-...........

फारम-VII-क

कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- **144** तिथि- **28.04.2016** के संदर्भ में

मेसर्स कश्यप ग्रीन होम्स प्रा0 लि0, पार्टनरः- श्री अंकित आनन्द, पताः- 601, शैलजा टॉवर, कंकडबाग मेन रोड, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विदूयमान भवन मैं परिर्वतन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के .... **प्लौट नं0- 874(P), 875(P), खाता नं0- 68, तौजी नं0-5241, थाना नं0- 36, मौजा- मुस्तफापुर, पता- आर0पी0एस0 इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, दानापुर, जिला- पटना** के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-......../16-17 है, की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आघश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **2888.36** वर्ग मीटर का पार्किंग एवं **ग्रीन एरिया 10%** का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **18.59 मी0** चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत

(18) बहुमंजिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामन फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्राधिकार के अनुमति प्राप्त कर ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10% भाग में पेड लगाना सुनिश्चित करेगें।

(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।

(23) पब्लिक बिल्डिंग में अपंग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।

(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने के लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरिक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

Rawe 9/6/16

कनीय अभियंता	सहायक अभियंता	नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत	नगर परिषद दानापुर निजामत	नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः- ....75......../दिनांकः- ....9/6/2016........

प्रतिलिपिः- मेसर्स कश्यप ग्रीन होम्स प्रा0 लि0, पार्टनरः- श्री अंकित आनन्द, पताः- 601, शैलजा टॉवर, कंकडबाग मेन रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत